



उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या : 15/2025/1075/94-2-2025-700(96)/2023 टी०सी०
लखनऊ, दिनांक : 04 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उप-धारा-(1) के खण्ड-(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, नीचे सारणी के स्तम्भ-1 में उल्लिखित प्रकृति के विभाजन विलेख पर, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 45 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हैं और उक्त सारणी के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिकतम स्टाम्प शुल्क नियत करते हैं :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
लिखत का विवरण	अधिकतम स्टाम्प शुल्क
अनधिक तीन पीढ़ी के पारम्परिक वंशजों के मध्य पैतृक अचल संपत्ति के विभाजन से सम्बंधित विभाजन विलेख।	रु० 5000/-

परन्तु यह कि-

- यह छूट केवल उन विभाजन विलेखों पर ही उपलब्ध होगी जिसमें परिवार के सदस्यों के मध्य पैतृक अचल संपत्ति का बंटवारा, विद्यमान उत्तराधिकार विधियों द्वारा वंशजों को सम्पत्ति-हस्तांतरण के अनुसार किया गया हो।
- पैतृक संबंध स्थापित करने हेतु पक्षकारों को उपर्युक्त तीन पीढ़ियों का उल्लेख करते हुए विलेख में एक पारिवारिक वंशावली प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- यह छूट केवल वास्तविक व्यक्तियों की सम्पत्तियों के विभाजन पर उपलब्ध रहेगी। कल्पित व्यक्तियों यथा फर्म, सोसायटी, ट्रस्ट व कंपनी आदि के स्वामित्वाधीन सम्पत्तियों पर कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।
- यह छूट केवल कृषि, आवासीय या वाणिज्यिक सम्पत्तियों के विभाजन पर उपलब्ध होगी। अन्य प्रकृति की सम्पत्तियों यथा औद्योगिक, संस्थागत सम्पत्ति पर यह छूट उपलब्ध नहीं होगी।

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या:15/2025/1075(1)/94-2-2025-700(96)/2023 टी०सी० दिनांक: 04 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे **दिनांक 04 सितम्बर, 2025** के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

संख्या:15/2025/1075(2)/94-2-2025-700(96)/2023 टी०सी० दिनांक: 04 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 2- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र०।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 7- समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।
- 8- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), उ०प्र०।
- 9- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।
- 10- विधायी अनुभाग-1
- 11- भाषा अनुभाग-5
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
उप सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 15/2025/1075/94-2-2025-700(96)/2023 T.C. dated 04 September, 2025:

Notification

No. 15/2025/1075/94-2-2025-700(96)/2023 T.C.

Lucknow; Dated: 04 September, 2025

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899), as amended in its application to the State of Uttar Pradesh, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, is pleased to remit the stamp duty chargeable under Article 45 of Schedule 1-B of Indian Stamp Act, 1899, on partition deeds of the nature mentioned in Column-1 of the Table below and fixes the maximum stamp duty as mentioned in Column-2 of the said Table :-

Column-1	Column-2
Description of the instrument	Maximum stamp duty
A partition deed related to the partition of ancestral immovable property among lineal descendants of not more than three generations.	Rs. 5000/-

Provided that,—

1. This remission shall be available only on partition deeds wherein the share of ancestral immovable property among family members is as per devolution upon the descendants by extant succession laws.
2. It shall be mandatory for the parties to present a family tree in the deed mentioning above three generations to establish the ancestral linkage.
3. This exemption shall be available only on division of properties of real persons. No exemption shall be available on properties owned by fictitious person like Firms, Society, Trust, Company, etc.
4. This exemption shall be available only on the division of agriculture, residential or commercial properties.

No exemption shall be available on other nature of properties such as industrial, institutional property.

By order,

Amit Gupta
Pramukh Sachiv.

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।